अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी
जिला नागौर

मु०न० 216/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज भवानाराम v/s दानाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.5.18	पत्रावली राजस्व लोक आदलत केम्प शिव में पेश हुई। वकुलाय मय पक्षकारान उपस्थित, पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया, जिसकी पहचान वकील श्री प्रभुराम गुर्जर व श्री माणक चन्द एवं सरपंच ग्राम पंचायत शिव ने की। राजीनामा पढ कर सुनाने पर सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा शामिल मिसल किया एवं पटवारी से रास्ता के संबंध में रिपोर्ट चाही, मौका रिपोर्ट शामिल मिसल है। वकुलाय एवं पक्षकारान ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनाम हो चुका है जरीये राजीनामा वाद डिक्री फरमावें। पक्षकारान का वाद पत्र, इकबाली जबाब, राजीनामा, पटवारी मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा एवं ग्राम पंचायत के सरपंच व उपस्थित मौतबरान से पुछताछ करने पर पक्षकराने के मध्य राजीनामा होने से जरीये राजीनामा वाद निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है। **आदेश** ग्राम शिव के खसरा नं0 528 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 529 रकबा 3.62 है0 में से 3.564 है0, खसरा नं0 565 रकबा 4.43 है0 में से 4.3308 है0, खसरा नं0 566 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 567 रकबा 4.79 है0 में से 0.31 है0 का वादी सं0 1 भुवाना राम पुत्र बनाराम एवं ग्राम बरालपुरा के खसरा नं0 388 में से रकबा 2.64 है0, खसरा नं0 389 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 390 रकबा 0.01 है0, ग्राम शिव के खसरा नं0 471 रकबा 12.45 है0 में से 1.62 है0 वादी संख्या 2 बेगाराम पुत्र देवाराम को व खसरा नं0 471 में से रकबा 1.62 है0 प्रतिवादी सं0 1 दानाराम पुत्र श्योजीराम को व खसरा नं0 470 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 471 में से रकबा 1.58 है0 कुल 1.62 है0 का प्रतिवादी सं0 2 भंवरी पत्नी दुलाराम को व खसरा नं0 471 में से रकबा 1.62 प्रतिवादी सं0 3,4 व 5 क्रमशः सुरेश कुमार, बोदुराम पुत्र आशाराम, बिरदी देवी पत्नी आशा राम को व खसरा नं0 567 रकबा 4.79 है0 में से रकबा 3.31 है0 का व ग्राम बरालपुरा के खसरा नं0 388 में से 1.20 है0, खसरा नं0 391 रकबा 0.13 है0 का प्रतिवादी सं0 6 अमरा राम पुत्र गोविन्दराम व ग्राम शिव के खसरा नं0 567 में से 1.14 है0, खसरा नं0 471 में से 2.18 है0 एवं ग्राम बरालपुरा के खसरा नं0 388 में से 1.20 है0 व खसरा नं0 391 में से रकबा 0.14 है0 का प्रतिवादी सं0 7, 8 व 9 क्रमशः रामुराम, रामेश्वर, डालुराम पुत्र हनुमानराम को व खसरा नं0 409 रकबा 4.07 है0, खसरा नं0 410 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 411 रकबा 0.03 है0 कुल रकबा 4.12 है0 में से 1/4 हिस्सा यानी रकबा 1.03 है0 का व ग्राम शिव के खसरा नं0 471 में से 3.50 है0 का प्रतिवादी सं0 10 ग्यारसी पुत्री पन्नाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नं0 565 रकबा 4.43 है0 में से 0.0992 है0, खसरा नं0 529 रकबा 3.62 है0 में से 0.0560 है0, खसरा नं0 567 रकबा 4.79 है0 में से 0.0300 है0, खसरा नं0 471 में से 0.33 है0 कुल रकबा 0.5152 है0 रास्ता कटाणी	

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

	(सिवायचक) घोषित किया जाता है। राजीनामा व मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल रहे। बंटवारा स्टाम्प डयूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे आम केम्प शिव में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर) राजसुख गुर्जर उपखण्ड अधिकारी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर

भुवानाराम बनाम दानाराम

मुकदमा नम्बर 216/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
23.07.18	वकील वादी उपस्थित, वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करने पर पत्रावली तलब की गई। पत्रावली में निर्णय दिनांक 17.05.2018 का अवलोकन से वादी का प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निर्णय दिनांक 17.05.2018 में संशोधन किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतित होने से निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है। **<u>संशोधन आदेश</u>** ग्राम बरालपुरा के खसरा नं0 388 रकबा 2.64 है0, खसरा नं0 389 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 390 रकबा 0.01 है0 का वादी सं0 2 बेगाराम पुत्र देवाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं निर्णय दिनांक 17.05.2018 में वादी सं0 1 भुवानाराम पुत्र बनाराम की जगह भुवानाराम पुत्र धन्नाराम किया जाता है। शेष निर्णय दिनांक 17.05.2018 यथावत रहेगा। संशोधन डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। संशोधन तहरीर जारी हो। पत्रावली पुनः दफ्तर दाखिल हो। (रामसुख गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Web Copy - Not Official

29– नानाराम पुत्र पाखरा